

२५/१०/२५

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थ एवं
अपीलार्थ अनु. अधिवक्ता अपीलार्थ व अपील
को न्यायालय की ओर से बार-बार आवेज
लगाई गई। लेकिन उनकी ओर से कोई
उपरिधत नहीं हुआ। अतः उक्त अपील
अदम्य हानरी, अदम्य पैशवी में शकिय
की जाती है। पत्रावली फ़ैसल सुमार डोट
नम्बर से उक्त डोट दाखिल दफ़तर हो।

